



**वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद**  
**Council of Scientific and Industrial Research**  
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001  
**Anusandhan Bhavan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001**  
ईमेल: [so.store@csir.res.in](mailto:so.store@csir.res.in)

**निविदा दस्तावेज़**

13-4(1)/2021-22/डिस्पोजल/स्टोर्स

दिनांक: 14 नवंबर, 2022

सेवा में,

**विषय: जेम पोर्टल पर पुराने एवं अनुपयोगी स्टाफ कार का निपटान।**

महोदय,

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की ओर से अग्र नीलामी जेम (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) पोर्टल के माध्यम से "जैसी है जहाँ हैं आधार" पर आमंत्रित की जाती है।

लॉट सं.	लॉट का स्थान	वस्तुएं	मात्रा	ईएमडी (रु.)
लॉट सं.: डी - 4	सीएसआईआर मुख्यालय अनुसंधान भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली	टाटा माँजा औरा (क्रय तिथि - 09/04/2012)	1 लॉट	5000.00

## निबंधन एवं शर्तें

1. बोली केवल जेम पोर्टल पर स्वीकार की जाएगी।
2. इस नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बोलीदाता जेम पोर्टल पर पंजीकृत होने चाहिए।
3. व्यवसाय नियम:

निरीक्षण की तारीख	15.11.2022( 10:00प्रातः)- 25.11.20200 (04:30शाम) तक
ईएमडी प्रस्तुत करना आरम्भ होने की तारीख	21.11.2022 (10:00 प्रातः)
ईएमडी प्रस्तुत करना समाप्त होने की तारीख	25.11.2022 (06:00 शाम)
नीलामी आरंभ होने की तारीख	28.11.2022 (10:00 प्रातः)
नीलामी समाप्त होने की तारीख	29.11.2022 (10:00 प्रातः)
नीलामी के दौरान इनक्रीमेंट	1000
नीलामी की बढ़ी हुई अवधि के दौरान इनक्रीमेंट	500
विस्तार की संख्या	जेम पोर्टल द्वारा अधिकतम अनुमत

4. निपटान के लिए प्रस्तुत सामग्री "जैसी है, जहाँ है आधार" पर सीएसआईआर अनुसंधान भवन में एक्स-यार्ड में बिना पैक की हुई स्थिति में है।
5. इस निविदा में भाग लेना और बोली लगाना इस तथ्य का निर्णायक साक्ष्य माना जाएगा कि बोलीदाता ने इससे संबंधित वस्तुओं और दस्तावेजों का निरीक्षण कर लिया है और वह वस्तुओं की मात्रा, गुणवत्ता और स्थिति के संबंध में पूरी तरह से संतुष्ट है।
6. सफल बोलीदाता/बोलीदाताओं द्वारा डिलिवरी लेने के समय लागू कर (जीएसटी) और शुल्क, उद्धृत बोली पर अतिरिक्त प्रभारित किए जाएंगे। **कार पर 18% की जीएसटी दर लागू है। बोलीदाता कोट करते समय अपनी जीएसटी संख्या का उल्लेख करें।**
7. प्रस्तुत सामग्रियों की गुणवत्ता और स्थिति के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के लिए बोलीदाता दिनांक 15 नवम्बर, 2022 से 25 नवम्बर, 2022, शानिवार और रविवार को छोड़कर सुबह 10:30 बजे से शाम 04:30 बजे के बीच पहले से समय लेकर किसी भी कार्य दिवस में सामग्री का निरीक्षण कर सकता है। वस्तुओं की मात्रा को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। निविदायें जमा होने के बाद अथवा सामग्री उठाने से पहले या बाद में किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा जमा होने के बाद नमूनों या निरीक्षण के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा। **'जैसी है-जहाँ है' की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे साइट पर वस्तुओं के निरीक्षण के बाद ही दरें उद्धृत करें।**
8. लॉट के लिए उल्लिखित बयाना राशि संयुक्त सचिव (प्रशा.), वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/आरटीजीएस के रूप में जमा करें, और इसकी प्रति को बोली के साथ अपलोड/प्रस्तुत करें, ऐसा न करने पर बोली बिना कोई कारण बताए सरसरी

तौर पर निरस्त कर दी जाएगी। वास्तविक डिमांड ड्राफ्ट इस कार्यालय में निविदा खोलने की तारीख को या उससे पहले जमा किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं करने पर बोली स्वीकार नहीं की जाएगी। सीएसआईआर मुख्यालय के आरटीजीएस/एनईएफटी विवरण, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण किया जा सकता है, नीचे दिया गया है: आरटीजीएस/एनईएफटी हस्तांतरण का साक्ष्य अपलोड/प्रस्तुत किया जाए। यदि डिमांड ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, तो उक्त डिमांड ड्राफ्ट बोली खोलने की तारीख से पहले इस कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए।

**ईएमडी जमा करने के लिए सीएसआईआर का बैंक विवरण -**

लाभार्थी का नाम- वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद

बैंक और शाखा का नाम-भारतीय स्टेट बैंक, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली - 110001

खाता संख्या-30242246752

आईएफएससी कोड-SBIN0000691

एमआईसीआर कोड- 110002087

सबसे ऊँची स्वीकार्य बोली लगाने वाले को भुगतान करने हेतु भुगतान की विधि उपर्युक्त के अनुसार होगी।

9. यदि बोलीदाता का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है, तो निविदाकर्ता की ईएमडी उसे वापस कर दी जाएगी। ऐसे प्रतिदाय (रिफंड) पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। सफल निविदा द्वारा जमा की गई ईएमडी प्रतिभूति जमा (एसडी), राशि के भुगतान तक विक्रेता के पास रहेगी। एसडीसी के विवेक पर इसे कुल एसडी राशि के हिस्से के रूप में समायोजित किया जा सकता है।
10. निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड/प्रस्तुत किया जाए:
  - (क) ईएमडी भुगतान का प्रमाण
  - (ग) मूल्य बोली
11. सफल बोलीदाता(ओं) को स्वीकृति पत्र/बिक्री आदेश जारी किया जाएगा जिसमें राशि और एसडी जमा करने की समय-सारणी सूचित की जाएगी।
12. यहां सफल निविदाकारों को खरीदार के रूप में संदर्भित करने के बाद, अनुबंध के कुल बिक्री मूल्य का **प्रतिभूति जमा (एसडी) @ 25 (पच्चीस)** प्रतिशत, स्वीकृति पत्र/बिक्री आदेश जारी होने के सात कैलेंडर दिनों के भीतर (जारी करने की तारीख को छोड़कर) जमा करें या बिक्री मूल्य का 100% भुगतान करें। इस प्रतिभूति जमा (एसडी) को बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा किया जाएगा और आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से संबंधित अधिकारी के पक्ष में किसी भी वाणिज्यिक बैंक पर आहरित किया जाएगा, जैसा कि ऊपर दिए गए नियमों और शर्तों के क्रम संख्या (8) पर दिए गए निर्देशों में उल्लिखित है।
13. बोलीदाता पूर्ण लॉट के लिए अपनी दरें स्पष्ट रूप से उद्धृत करें।

14. **बोली मूल्यांकन:** बोलियों का मूल्यांकन किया जाएगा और सबसे ऊँची बोली लगाने वाले को प्रदान किया जाएगा, बशर्ते उनके पास अपेक्षित प्रमाण पत्र हों।
15. **शेष बिक्री मूल्य (बीएसवी):** सफल बोलीदाता को बीएसवी के भुगतान के लिए 14 (चौदह) कैलेंडर दिनों (स्वीकृति पत्र/बिक्री आदेश की तारीख सहित) की अनुमति दी जाएगी। एसडीसी, प्रचलित बाजार दरों और प्रवृत्तियों पर विचार करने के बाद, बीएसवी के भुगतान के लिए विलंब भुगतान शुल्क @ एक प्रतिशत प्रति सप्ताह या उसके हिस्से के साथ केवल दो सप्ताह तक के लिए समय का विस्तार दे सकता है और उसके बाद, प्रतिभूति जमा को बिना किसी सूचना के जब्त कर लिया जाएगा। रूटीन के तौर पर एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। रोकड़ कार्यालय में डिमांड ड्राफ्ट जमा करने की तारीख सभी जमा किए गए और बाद में अनुबंध की किसी भी शर्त के तहत खरीददार को वापसी योग्य पाए जाने के लिए भुगतान की तारीख है; और
16. **डिलिवरी आदेश :** डिलिवरी आदेश एक आवश्यक दस्तावेज है जिसे अभिरक्षक (कस्टोडियन) से सामग्री की डिलिवरी लेने के लिए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है और इसलिए बीएसवी जमा करने के बाद, डिलिवरी आदेश जारी किया जाना चाहिए और यह डिलिवरी क्रेता या उसके एजेंट को डिलिवरी आदेश के बल पर और खजांची की रसीद की पुष्टि के बाद की जानी चाहिए।
17. सफल बोलीदाता सीएसआईआर परिसर से अवार्ड किए गए लॉट की सभी सामग्रियों को 21 दिन के भीतर हटाने के लिए जिम्मेदार होगा। खरीदार को किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच अपनी लागत, जोखिम और जिम्मेदारी पर मजदूर, परिवहन एवं अन्य व्यवस्थायें करनी होंगी। सीएसआईआर परिसर में कोई वस्तु उठाने, उसका चयन और छँटाई करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। **यदि सामग्री को निर्दिष्ट समय के भीतर नहीं उठाया जाता है तो अगले 7 और दिनों की अवधि के लिए मौजूदा नियमानुसार बिक्री मूल्य का 0.5 प्रतिशत प्रति दिन के हिसाब से जमीन का किराया लिया जाएगा।** इसके पश्चात भी अवार्ड किए गए लॉट को हटाए न जाने पर उसे छोड़ा हुआ (परित्यक्त) लॉट माना जाएगा और ऐसे छोड़े गए (परित्यक्त) लॉट के लिए डिफॉल्टर के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। छोड़े गए (परित्यक्त) लॉट को सीएसआईआर को फिर से बेचने का अधिकार है। सम्बन्धित बोलीदाता के पास छोड़े गए (परित्यक्त) लॉट के विषय में कोई दावा नहीं होगा।
18. क्रेता और उसके आदमी विक्रेता के परिसर में होने पर विक्रेता के सुरक्षा नियम के अधीन होते हैं। क्रेता, उनके कामगार एजेंट या प्रतिनिधि विक्रेता के परिसर में कोई उपद्रव, चोरी या असामाजिक गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे और क्रेता उनके कामगारों के अच्छे आचरण, सुरक्षा और अनुशासन के लिए उत्तरदायी होगा। किसी भी अनुचित गतिविधि के मामले में, डिलिवरी को निलंबित कर दिया जाएगा और कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी जिसमें प्रतिभूति जमा की जब्ती भी शामिल है।
19. सामग्री की डिलीवरी लेते समय, विक्रेता द्वारा खरीदे गए लॉट को हटाने के दौरान विक्रेता के परिसर/फिटिंग को हुए किसी भी नुकसान के लिए खरीदार जिम्मेदार होगा। विक्रेता इस तरह के नुकसान को पूरा करने के लिए विकल्प की व्यवस्था कर सकता है और मांगे जाने पर क्रेता उसके लिए भुगतान करेगा। यदि ऐसा भुगतान मांग पर नहीं किया जाता है, तो विक्रेता प्रतिभूति जमा को जब्त कर सकता है या भुगतान किए जाने तक सामग्री की डिलीवरी रोक सकता है।

20. विक्रेता किसी भी समय अपने परिसर में दुर्घटना के कारण खरीददार या उसके प्रतिनिधि/श्रमिक आदि को हुई किसी भी चोट के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और खरीददार किसी भी कानून के तहत रोजगार से संबंधित किसी भी दावे के लिए उचित व्यवस्था करेगा। आवश्यकतानुसार सामग्री लोड करने वाले मजदूरों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण (जैसे हाथ के दस्ताने/सुरक्षा जूते आदि) प्रदान करना खरीददार की जिम्मेदारी है।
21. खरीददार/उसके प्रतिनिधि या उसके कर्मचारियों द्वारा विक्रेता के परिसर के भीतर यदि किसी भी लागू निबंधन एवं शर्तों या वैधानिक विनियमों या नियमों और विनियमों में से किसी की भी लापरवाही / या उसमें से कुछ छूटने/चूक या गैर-अनुपालन होने के किसी कृत्य के कारण संपत्ति/जीवन आदि के साथ कोई दुर्घटना या क्षति होती है, जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या उसे चोट लगती है या विक्रेता या किसी तीसरे पक्ष की संपत्ति को नुकसान होता है, तो ऐसी स्थिति में खरीददार को विक्रेता के कार्मिकों सहित ऐसे व्यक्ति को ऐसी दुर्घटना या चोट/मृत्यु या क्षति के लिए उनके कर्मचारियों या विक्रेता के किसी कर्मचारी या अन्य को या विक्रेता की संपत्ति को हुई क्षति के लिए मुआवजे का भुगतान करना होगा। ऐसे में खरीददार विक्रेता को किसी भी मांग, दावों या तत्संबंधी कार्यवाही की पूर्णतः क्षतिपूर्ति करेगा।
22. खेप को लोड करने और इस खेप को खरीदारों के प्रतिनिधि को सौंपने के बाद विक्रेता की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। विक्रेता लोडिंग पूर्ण होने के बाद उत्पन्न किसी भी विवाद का पक्षकार नहीं होगा।
23. बोली निविदा खुलने की तारीख से 90 (नब्बे) दिनों की अवधि के लिए वैध होगी। ( नोट: यदि इस अवधि के भीतर प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है, तो बोलीदाताओं से उनकी बोलियों की वैधता बढ़ाने के लिए कहा जा सकता है)।
24. खरीददार द्वारा अधिकृत व्यक्ति को डिलीवरी लेने की अनुमति होगी।
25. बोली में दिए गए पते को खरीददार का पता माना जाएगा और उस पते पर भेजे गए पत्र को खरीददार को माल सुपुर्द कर दिया गया माना जाएगा।
26. यदि सीएसआईआर परिसर से लॉट के अवार्ड और सामग्री को हटाने की अवधि के भीतर कोई चोरी/आग/क्षति या किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो नुकसान बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा। उक्त समय के भीतर किसी भी कारण से सामग्री के नुकसान, क्षति या उसके खराब होने के लिए परिषद जिम्मेदार नहीं होगी।
27. **लॉट की सबसे ऊँची बोली लगाने वाले को लॉट प्रदान किया जाएगा।**
28. सीएसआईआर बिना कोई कारण बताए निपटान की निविदा को रद्द करने या बिक्री से लॉट या उसके हिस्से को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है। विक्रेता किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार और रद्द करने, लॉट में संशोधन करने या बोली स्वीकार करने/स्वीकृति पत्र जारी करने/बिक्री आदेश/डिलीवरी आदेश/पूर्ण बिक्री जमा करने से पहले या बाद में किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है, और ऐसी सामग्री का मूल्य, यदि उसका भुगतान किया गया है तो वह रिफंडेबल होगा। बिक्री से किसी भी स्तर पर इस तरह के विद्वड़ल के कारण बोलीदाताओं को हुई क्षति/हानि के लिए विक्रेता जिम्मेदार नहीं होगा। सबसे ऊँची बोली लगाने वाले को अपने प्रस्ताव की स्वीकृति की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है।

29. पार्टियों के बीच या स्वीकृति पत्र और वितरण आदेश या बिक्री प्रक्रिया के संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा। यदि, फिर भी पार्टियां विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने में विफल रहती हैं, तो इसे दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (डीआईएसी) के पास भेजा जाएगा और इसे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996, तत्संबंधी 2015 के संशोधनों और तदुपरांत हुए संशोधनों के अनुसार मध्यस्थता द्वारा निपटाया जाएगा।

भवदीय

प्रहलाद राय जाट  
भंडार एवं क्रय अधिकारी



वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्  
Council of Scientific and Industrial Research  
अनुसंधान भवन 2 रफी मार्ग नई दिल्ली 110001  
Anusandhan Bhawan, 2 Rafi Marg, New Delhi-110001  
Email: [so.store@csir.res.in](mailto:so.store@csir.res.in)

## Tender Document

13 – 4 (1)/2021-22/Disposal/Stores

Date: 14<sup>th</sup> Nov, 2022

To,

**Sub: Disposal of Old & unserviceable Staff Car on GeM Portal**

Sir,

Forward Auction on behalf of **Council of Scientific and Industrial Research**, is invited through GeM (Government e-marketplace) portal from **on "As is where is & what is basis"**

<u>Lot No.</u>	<u>Place of lot</u>	<u>Description of Vehicle</u>	<u>Qty.</u>	<u>EMD(Rs)</u>
LOT NO: D-4	CSIR Hqrs. Anusandhan Bhawan, Rafi Marg, New Delhi	Tata Manza Aura (Date of Purchase – 09/04/2012)	1 LOT	5000.00

## TERMS AND CONDITIONS

1. Bids will be accepted on GeM portal only
2. **Bidders should be Registered on the GeM portal to participate in the auction process**
3. **BUSINESS RULES :** -

<b>Inspection Date</b>	15.11.2022 (10: 00 AM) – Till 25.11.2022 (04: 30 PM)
<b>EMD Submission Start Date</b>	21.11.2022 (10: 00 AM)
<b>EMD Submission End Date</b>	25.11.2022 (06: 00 PM)
<b>Auction Start Date</b>	28.11.2022 (10: 00 AM)
<b>Auction End Date</b>	29.11.2022 (10:00 AM)
<b>Increment during Auction</b>	1000.00
<b>Increment during extended period of Auction</b>	500.00
<b>No. of extensions</b>	Maximum allowed by GeM Portal

4. **The materials offered for disposal is on “As is where is & what is basis” Ex-yard at CSIR Anusandhan Bhawan in unpacked condition.**
5. Participation and bidding in the tender shall be treated as conclusive evidence of the fact that the bidder has inspected the items and documents pertaining to it and is satisfied in all respects regarding quantity, quality, and condition of the items.
6. The taxes (GST) & duties as applicable at the time of taking delivery by the successful bidder/bidders, which will be charged extra over the quoted bid. **GST rate of 18% is applicable on Cars should indicate their GST number while quoting).**
7. **The bidder may inspect the materials on any working day between 10:30 AM to 04:30 PM between 15<sup>th</sup> November, 2022 to 25<sup>th</sup> November, 2022, except Saturday and Sunday by prior appointment to satisfy themselves about the quality & condition of the materials offered.** Quantity of items may be increased or decreased. No complaint whatsoever will be entertained after the tenders are submitted or before



or after the materials are lifted. No request for samples or inspection after submission of the tender will be accepted. **In view of the 'as-is-where is' condition bidders are advised to quote rates only after inspection of the items at the site.**

8. **Earnest Money Deposit as mentioned against the lot in the form of Demand Draft/RTGS in favour of Jt Secy (A), Council of Scientific & Industrial Research, New Delhi should be submitted, copy of which must be uploaded/submitted along with the bid failing which the bid will be rejected summarily without assigning any reason. The physical demand draft must be submitted to this office on or before the tender opening date failing which the bid would not be accepted. The RTGS/NEFT details of CSIR hqrs. are as follows to enable you to make an electronic transfer: The proof of RTGS/NEFT transfer may be uploaded/submitted. In case demand draft has been drawn, the said demand draft should reach this office before the date of opening of the bid.**

**Bank Detail of CSIR for Submission of EMD-**

<b>Beneficiary Name-</b>	<b>Council of Scientific &amp; Industrial Research</b>
<b>Bank and Branch Name-</b>	<b>State Bank of India, Parliament Street New Delhi - 110001</b>
<b>Account number-</b>	<b>30242246752</b>
<b>IFSC Code-</b>	<b>SBIN0000691</b>
<b>MICR Code-</b>	<b>110002087</b>

**The payment methodology for making payment for the highest acceptable bidder would be the same as above.**

9. If the bidder's offer is not accepted, the tenderer's EMD shall be refunded to him. No interest shall be payable on such refunds. The EMD deposited by the successful tender shall remain with the seller till payment of the SD money. It may be adjusted as part of the total SD money at the discretion of SDC.
10. The following documents should be uploaded/Submitted:
  - (a) Proof of payment of EMD
  - (b) price bid
11. The acceptance letter/sale order would be issued to the successful bidder(s) notifying the amounts and schedule of submission of SD.
12. Successful tenderers herein after referred to as purchasers, shall have to submit a **security Deposit(SD) @ 25 (Twenty-Five) per cent of the total sale value of the contract within seven calendar days of the issue of the acceptance letter/sale order**

(excluding the date of issue) or pay 100% of the sale value. The SD shall be deposited in the form of bank draft, or through RTGS/NEFT drawn on any of the commercial bank in favor of officer concerned as mentioned in the instructions at sl. no (8) of the terms and conditions as above.

13. **Bidders should clearly quote their rates for full lot.**
14. **BID EVALUATION: Bids would be evaluated and would be awarded to the highest bidder.**
15. **Balance Sale Value (BSV):** The successful bidder will be allowed 14 (Fourteen) calendar days (including the date of acceptance letter/sale order) for payment of BSV. The SDC after taking into consideration the prevailing market rates and trends, may grant an extension of time for the payment of BSV with the late payment charges @ one per cent per week or part thereof up to two weeks only and, thereafter, the SD will stand forfeited without notice. Extension will not be granted as a matter of routine. The date of submission of the demand draft in the cash office is the date of payment for all deposited and subsequently found refundable to the purchaser under any of the conditions of the contract; and
16. **Delivery Order:** Delivery Order is an essential document required to be produced to take delivery of the material from the custodian and therefore after depositing BSV, the Delivery Order should be issued and the delivery should be made to purchaser or his agent on the strength of the Delivery Order and after verifying cashier's receipt.
17. The successful bidder is liable to remove within 21 days all the materials of awarded Lot from CSIR premises. The labour, transport and other arrangements will have to be made by the purchaser at their own cost, risk and responsibility between 10.00 AM to 5.00 PM., on any working days. No picking, choosing or sorting will be allowed in the CSIR premises. **In case the material is not lifted within the specified time, a ground rent per day will be charged, @ 0.5 per cent of the sale value per day as per existing rule, from the purchaser for a further period of 7 days.** If the awarded lot is not removed it will be treated as abandoned lot and appropriate action will be initiated against defaulter for such abandoned lot. CSIR reserves the right to re-sell abandoned lot. The concerned bidder will not have any claim whatsoever about the abandoned lot.
18. Purchaser and his men are subject to the security rule of seller in force while in the seller's premises. The purchaser/s, their workmen agents or representatives shall not commit any nuisance, theft or indulge in any antisocial activities in the seller's premises and the purchaser shall be liable for the good conduct, safety & discipline of his workmen. In case of any such activity, delivery will be suspended and strict action as per law will be taken including forfeiture of SD.

19. While taking delivery of the material, the Purchaser shall be responsible for any damage that may be done to premises/fittings of the SELLER in the course of removing the lot purchased by them. The SELLER may at its option arrange to make good such damages and the purchaser shall pay for the same on demand. If such payment is not made on demand, the SELLER may forfeit the Security Deposit or may stop delivery of the material till payment is made.
20. SELLER will not at any time be responsible for any injuries caused due to accident within its premises either to the buyer or his representative/labour etc. and the buyer will make proper arrangements for any claim arising out of the employment under any statute. It is the responsibility of the buyer to provide necessary safety appliances (like hand gloves /safety shoes etc.,) to the laborers, who are engaged for loading the materials, if required.
21. If any accident or damage to the property /life etc. arises by reason of any act of negligence / omission / default or non-compliance with any of the Terms and Conditions or statutory regulations or rules and regulation applicable within the Seller's premises, on the part of the Buyer /his representative or employees, resulting in death or injury to any persons or damages to the property of the SELLER or any third party, then in such an event the Buyer will have to pay compensation to such person including the employees of the SELLER for such accident or injury / death or damage caused to their employees or to any of the Seller's employees or to others or to the Seller's property. The Buyer shall in such event, keep the SELLER fully indemnified from any demand, claims or proceedings thereof.
22. The seller's responsibility ends after the consignment has been loaded and handed over to the representative of the purchasers. The seller will not be a party to any dispute that may arise after the loading has been completed.
23. Bid should be valid for a period of 90 (Ninety) days from the date of opening of the tenders. (Note: If administrative approval is not received within this period, then the bidders may be asked for extension of validity of their bids).
24. The person authorized by the purchaser will be allowed to take delivery.
25. The address given in the Bid shall be deemed to be the Purchaser's address and correspondence sent on that address shall be considered to have been delivered to the purchaser.
26. If any theft/fire/damage or any type of mishapening occurs within the period of award of lot and removing of materials from CSIR premises the loss will be borne by the bidder. The Council will not be responsible for loss, damage or deterioration of the material due to any cause, whatsoever within the said time.

27. **The lot will be awarded to the highest bidder.**
28. CSIR reserves the right to cancel the Tender of disposal or withdraw a lot or part thereof from the sale without assigning any reason thereof. The seller reserves the right to accept/reject and cancel any bid, amend/withdraw the lot at any stage before or after acceptance of bid/issue of acceptance letter/sale order/delivery order / deposit of the full sale value by the bidder, without assigning any reason thereof and the value of such material, if paid for, shall be refundable. The seller shall not be responsible for damage/loss to bidders on account of such withdrawal at any stage from the sale. The highest bidder does not get any right to demand acceptance of his offer.
29. **All disputes arising between the parties out of or in relation to the Acceptance letter and Delivery order or sale process shall be settled amicably. If, however the parties fail to resolve amicably, the same shall be referred to and settled through Delhi International Arbitration Centre (DIAC) through arbitration in line with Arbitration and Conciliation Act 1996, amendments thereof of 2015 and any subsequent amendments.**

**Yours faithfully**

**Prahlad Ray Jat  
Stores & Purchase Officer**